न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 08/2020

शिवकरण पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी सहारणों की ढाणी तन लुणा, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम–

1. बीरबल पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी सहारणों की ढाणी तन लूणा तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
2. विद्याधर पुत्र मामराज जाति जाट निवासी सहारणों की ढाणी तन लूणा तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
3. अनिता पत्नी नरोतम मील जाति जाट निवासी 131 नई कालोनी, झुझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
4. मनीराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी सहारणों की ढाणी तन लूणा तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
5. नायब तहसीलदार मलसीसर तहसील व जिला झुंझुनू।

– रेस्पोडेन्टस

अपील बखिलाफ नामांतरकरण संख्या 545 दिनांक 09.01.2020
नायब तहसीलदार मलसीसर

उपस्थितिः–

1 .श्री विनोद गिल , एडवोकेट ––––– –––––––––अपीलान्ट की ओर से ।

2. श्री नफीस एडवोकेट –––––––––––––––––––रेस्पोंडेंट नंबर 1 व 3 की ओर से।

3. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट–––––––––––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 17.08.2021

उक्त अपील विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 545 दिनांक 09.01.2020 नायब तहसीलदार मलसीसर के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– अपीलांट का कथन है कि उसने एक दावा उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के समक्ष घोषणा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का उनवानी शिवकरण बनाम बीरबल आदि पेश किया जिसमें कथन किया गया है कि ग्राम लूणा में भूमि खसरा नंबर 144/1 खसरा नंबर 146 व खसरा नंबर [illegible] रकबा 8 बीघा 19 विश्वा स्थित है जिसके हाल खसरा नंबर 377 रकबा 09 हैक्टर, खसरा नंबर 380 रकबा .40 हैक्टर, खसरा नंबर 381 रकबा 0.5 हैक्टर, खसरा नंबर 382 रकबा 0.3 हैक्टर, खसरा नंबर 383 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.17 18:42:54 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

नंबर 384 रकबा 0.90 हैक्टर कुल खसरा 6 कुल रकबा 2.27 हैक्टर भूमि स्थित है। लालाराम के वारिसान व मामराज के वारिसान का बराबर हिस्सा है। उक्त भूमि लालाराम व मामराज ने शामलाती हरिसिंह पुत्र गणपत सिंह से खरीदी थी और संयुक्त रूप से पैसे लगे थे। उक्त भूमि लालाराम ने अपने बड़े पुत्र बीरबल उम्र 10 वर्ष के नाम तथा मामराज ने अपने बड़े पुत्र विद्याधर अव्यस्क के नाम विक्रय पत्र तस्दीक करवाये। उक्त विक्रय पत्र 1965 को उप पंजीयक झुंझुनू के यहां तस्दीक करवाया तब बीरबल अवयस्क थे। उक्त भूमि क्रय करने में 1/2 हिस्से का प्रतिफल लालाराम ने दिया तथा 1/2 हिस्से का प्रतिफल मामराज ने दिया, इसलिए उक्त भूमि में लालाराम के वारिसान का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा है तथा मामराज के प्रत्येक वारिसान का 1/14 हिस्सा है। उक्त भूमि में, भूमि खसरा नंबर 377 में मनीराम आबाद है तथा खसरा नंबर 381 व 382 में अपीलार्थी शिवकरण आबाद है । शिवकरण व लालाराम के मकानात 40 वर्ष से अधिक समय से बने हुये हैं जिसमें विद्युत संबंध है व टेलीफोन का कनेक्शन भी है, यह तथ्य उक्त दावा व प्रार्थना पत्र के जवाब में स्वीकार भी हैं। उक्त भूमि बाबत पूर्व में उपखण्ड अधिकारी मलसीसर से स्थगन था उसके पश्चात दिनांक 6.1.2020 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर केम्प कोर्ट झुंझुनू से स्थगन आदेश था, स्थगन आदेश रहते हुये नायब तहसीलदार मलसीसर ने बिना जांच किये नामान्तरकरण तस्दीक किया है। उक्त भूमि पर ना तो सम्पूर्ण भूमि पर बीरबल का कब्जा था और ना ही अनिता का कब्जा है, कब्जे की जांच किये बिना स्थगन रहते हुये नामांतरकरण तस्दीक किया गया है। नामांतरकरण में गलत रूप से दर्ज किया गया है कि उपहार ग्रहिता का कब्जा है जब कि जवाब दावा में स्वीकार कर रखा है कि उक्त भूमि में शिवकरण, मनीराम मकानात बनाकर 40 वर्ष से अधिक समय से आबाद हैं इसलिए उक्त नामांतरकरण निरस्त किया जाना उचित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 545 दिनांक 09. 01.2020 को निरस्त करने का आदेश फरमाने व पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करने की कब्जे की जांच कर पुनः नामांतरकरण तस्दीक किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1994 पेज 489 व आर.आर.डी. 1970 पेज 433 पेश किये गये।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। रेस्पोंडेंट नंबर 2 से 4 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहे। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– अपीलांट ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के [illegible] विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का उनवानी शिवकरण बनाम बीरबल आदि पेश किया जिसमें कथन किया गया है कि ग्राम लूणा में भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.17 18:42:54 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

खसरा नंबर 144/1 खसरा नंबर 146 व खसरा नंबर 147 रकबा 8 बीघा 19 विश्वा स्थित है जिसके हाल खसरा नंबर 377 रकबा 09 हैक्टर खसरा नंबर 380 रकबा .40 हैक्टर, खसरा नंबर 381 रकबा 0. 5 हैक्टर, खसरा नंबर 382 रकबा 0.3 हैक्टर, खसरा नंबर 383 रकबा 0.80 हैक्टर खसरा नंबर 384 रकबा 0.90 हैक्टर कुल खसरा 6 कुल रकबा 2.27 हैक्टर भूमि स्थित है। लालाराम के वारिसान व मामराज के वारिसान का बराबर हिस्सा है। उक्त भूमि लालाराम व मामराज ने शामलाती हरिसिंह पुत्र गणपत सिंह से खरीदी थी और संयुक्त रूप से पैसे लगे थे। उक्त भूमि लालाराम ने अपने बड़े पुत्र बीरबल उम्र 10 वर्ष के नाम तथा मामराज ने अपने बड़े पुत्र विद्याधर अवयस्क के नाम विक्रय पत्र तस्दीक करवाये। उक्त विक्रय पत्र 1965 को उप पंजीयक झुंझुनू के यहां तस्दीक करवाया तब बीरबल अवयस्क थे। उक्त भूमि क्रय करने में 1/2 हिस्से का प्रतिफल लालाराम ने दिया तथा 1/2 हिस्से का प्रतिफल मामराज ने दिया, इसलिए उक्त भूमि में लालाराम के वारिसान का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा है तथा मामराज के प्रत्येक वारिसान का 1/14 हिस्सा है। उक्त भूमि में, भूमि खसरा नंबर 377 में मनीराम आबाद है तथा खसरा नंबर 381 व 382 में अपीलार्थी शिवकरण आबाद है । शिवकरण व लालाराम के मकानात 40 वर्ष से अधिक समय से बने हुये हैं जिसमें विद्युत संबंध है व टेलीफोन का कनेक्शन भी है, यह तथ्य उक्त दावा व प्रार्थना पत्र के जवाब में स्वीकार भी हैं। उक्त भूमि बाबत पूर्व में उपखण्ड अधिकारी मलसीसर से स्थगन था उसकेपश्चातदिनांक 6.1.2020 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर केम्प कोर्ट झुंझुनू से स्थगन आदेश था, स्थगन आदेश रहते हुये नायब तहसीलदार मलसीसर ने बिना जांच किये नामान्तरकरण तस्दीक किया है। उक्त भूमि पर ना तो सम्पूर्ण भूमि पर बीरबल का कब्जा था और ना ही अनिता का कब्जा है, कब्जे की जांच किये बिना स्थगन रहते हुये नामांतरकरण तस्दीक किया गया है।नामांतरकरण में गलत रूप से दर्ज किया गया है कि उपहार ग्रहिता का कब्जा है जब कि जवाब दावा में स्वीकार कर रखा है कि उक्त भूमि में शिवकरण, मनीराम मकानात बनाकर 40 वर्ष से अधिक समय से आबाद हैं इसलिए उक्त नामांतरकरण निरस्त किया जाना उचित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 545 दिनांक 09. 01.2020 को निरस्त करने का आदेश फरमाने व पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करने की कब्जे की जांच कर पुनः नामांतरकरण तस्दीक किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर द्वारा विधिक प्रकिया के तहत नामांतरकरण तस्दीक किया गया है । स्थगन प्रार्थना पत्र में तहसीलदार पक्षकार नहीं थे, ना ही तहसीलदार के समक्ष कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत हुआ है। हस्तगत प्रकरण में जिस तारीख को नामांतरकरण भरा गया है, [illegible]सी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं थी। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण [illegible]ज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.17 18:42:54 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । हस्तगत नामांतरकरण संख्या 545 दिनांक 09.01.2020 रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के आधार पर तस्दीक किया गया है, जिसमें कब्जा लेने एवं देने का पक्षकारों के मध्य लिखित सहमति अंकित है। जहां तक किसी न्यायालय के स्थगन के दौरान यह नामांतरकरण तस्दीक किया गया हो का प्रश्न है न्यायालय के समक्ष इस तरह का कोई तस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ है जिससे साबित होता हो कि उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र में तहसीलदार पक्षकार हो या स्थगन आदेश कोई प्रति उक्त नामांतरकरण तस्दीक होने पूर्व दी गई हो। स्थगन आदेश दिनांक 09.01.2020 का होने का कथन विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा किया गया है। जबकि नामांतरकरण संख्या 545 के अवलोकन से जाहिर है कि नामांतरकरण दिनांक 30.12.2019 को हल्का पटवारी द्वारा भरा गया है, उसके बाद दिनांक 03.1.2020 को भू0 अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की जाकर सही होना अंकित किया गया है। तस्दीक होने से पूर्व स्थगन आदेश की कोई प्रति हल्का पटवारी या तहसीलदार मलसीसर को दी गई हो, ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। जहां तक विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा आदि होने के प्रश्न है, उभय पक्ष ने यह स्वीकार किया है कि उनके मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के यहां वाद विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों के हितों का निर्धारण बाद साक्ष्य दावे में तय होना है। इस प्रकार इस प्रकरण के ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर द्वारा तस्दीक हस्तगत नामांतरकरण संख्या 545 दिनांक 09.01.2020 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

17.08.21

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.17 18:42:54 IST
Reason: SelfAttested